

प्रेस नोट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर दिनांक 01.11.2025

चोरी करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 4 किलो छिला हुआ कॉपर तार बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा चोरी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ गोरखपुर के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक शशि भूषण राय थाना गोरखनाथ के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 469/2025 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त मो0 इस्लाम पुत्र मो0 याशीन निवासी सैनी आटा चक्की के पास हुमायुँपुर उत्तरी थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया तथा कब्जे से चोरी का छिला हुआ कॉपर तार वजन लगभग 4 किलो बरामद किया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दिया गया कि गोरखनाथ पुल के बगल में निर्माणाधीन ओवर ब्रिज के पीयर कैप पी-4 की छत पर रखे बेल्टिंग मशीन का बेल्टिंग लीड लगभग 30 मीटर रात में चोरी द्वारा काट लिया गया। जिसके संबंध पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0469/2025 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मो0 इस्लाम पुत्र मो0 याशीन निवासी सैनी आटा चक्की के पास हुमायुँपुर उत्तरी थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 469/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

बरामदगी -

चोरी का छिला हुआ कॉपर तार वजन लगभग 4 किलो

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्र0नि0 शशिभूषण राय थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अनुराग सिंह थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
3. हे0का0 राजीव सिंह थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर